न्यायालय–जिला न्यायाधीश दशम्, जबलपुर (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी– संजोग सिंह वाघेला)

UN CIV/222/2021
F.NO.-EX AB/9160/2021
CNR NO.-MP20010420092021
Date of Filling-23-11-2021

मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड
पता–123 अन्गाप्पा नाईकेन स्टीट चेन्नई 600001
शाखा–मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेन्स लिमिटेड
13/80 नेपियर टाउन साईसदन छात्रावास के पास
होमसाइंस कालेज रोड जबलपुर द्वारा विधि अधिकारी
आदिल सुल्तान ....**डिक्रीधारी**

विरूद्ध

1. मनप्रीत सिंह पिता लखबीर पता पोल नं. तिघरा खमरिया आजाद नगर रांझी मानेगांव जबलपुर म.प्र.
2. रनविजय कुमार भगत पिता कैलाश भगत पता रानी लक्ष्मी वार्ड नं. 69 कृष्णा कॉलोनी एरिया धोभीघाट टेमर भीटा जबलपुर म.प्र.
3. लखबीर सिंह पिता मनीश सिंह पता पोल नं. तिघरा खमरिया आजाद नगर रांझी मानेगॉव जबलपुर म.प्र.

.........**निर्णीतऋणीगण**

01.10.2024 डिक्रीधारी द्वारा श्री आवेश पटेल अधि. उप.।
निर्णीतऋणीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण डिक्रीधारी द्वारा शेष स्टाम्प डयूटी अदायगी हेतु नियत है किन्तु आज दिनांक तक स्टाम्प डयूटी अदा नहीं की गई है। आज पुनः इस हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को अधिनिर्णय के निष्पादन हेतु निर्धारित स्टाम्प शुल्क अदायगी एवं शपथ पत्र प्रस्तुति हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके उपरांत आज दिनांक तक आज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क/स्टाम्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

डिक्रीधारी अधिवक्ता द्वारा आज पुनः इस हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीधारी को स्टाम्प डयूटी अदायगी एवं शपथ पत्र प्रस्तुति हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। आज अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। ऐसी स्थिति में और अवसर दिया जाना संभव नहीं है।

अतः डिक्रीधारी द्वारा स्टाम्प डयूटी एवं शपथ पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज किया जाकर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

SANJOG SINGH VAGHELA

Digitally signed by SANJOG SINGH VAGHELA
Date: 2024.10.01 17:43:47 +0530

(संजोग सिंह वाघेला)
जिला न्यायाधीश दशम्
जबलपुर